

संसं-श०श०नि०सं-०१/१७ → ०५

बिहार सरकार  
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार यादव,  
उप निदेशक (च०श०)-सह- प्रभारी सचिव  
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- तकनीकि सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।

पटना, दिनांक १३/६/१७

महाशय,

उपरोक्त विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अपील (सिविल) संख्या - 5041/2005(पी०ए०)  
ईनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में दिनांक 12.08.2005 को परित निर्णय के पृष्ठ 12 (छायाप्रति संलग्न) के  
आलोक में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से एक तकनीकि  
सदस्य मनोनीत किया जाना है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि किन्ही सक्षम पदाधिकारी को बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के सदस्य के  
रूप में मनोनीत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त :-

विश्वासभाजन

१३/६/१७  
(डा० अशोक कुमार यादव)

उप निदेशक (च०श०)-सह- प्रभारी सचिव

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ०५ / उ०नि०को०, स्वा०, पटना, दिनांक १३/६/१७

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना को  
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

१३/६/१७

उप निदेशक (च०श०)-सह- प्रभारी सचिव

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।